भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3882
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राज्यों को वित्तीय सहायता

3882. श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों को समान रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार आंकड़ा है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹200/- प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹500/- प्रति माह केंद्रीय सहायता दी जाती है। एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के कम से कम समतुल्य राशि की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को संतोषजनक स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी ₹50 से ₹3800 प्रति माह तक की अतिरिक्त राशि जोड़ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधि **अनुबंध-।** में दी गई है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की योजना-वार सीमा के अनुसार, देश भर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत कुल 2.21 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) **अनुबंध-।।** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थियों का एक डेटाबेस व्यवस्थित रखना होता है और उसे सार्वजनिक रूप से अपलोड करना आवश्यक है।

राज्यों को वित्तीय सहायता के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3882 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (रुपये करोड़ में)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	186.77	141.55	194.75	253.72	229.01
2	बिहार	1000.02	998.05	1059.14	1153.55	1085.59
3	छत्तीसगढ़	98.55	183.58	187.69	190.63	242.21
4	गोवा	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5	गुजरात	173.64	130.23	217.05	183.06	183.49
6	हरियाणा	34.96	0.00	180.39	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	39.34	9.85	29.56	72.91	0.00
8	जम्मू एवं कश्मीर	22.88	35.07	19.26	73.13	31.61
9	झारखंड	206.38	327.09	270.16	196.36	238.39
10	कर्नाटक	300.73	291.52	243.66	303.75	68.31
11	केरल	175.96	0.00	0	366.66	78.64
12	मध्य प्रदेश	465.46	392.16	663.28	578.58	622.81
13	महाराष्ट्र	305.48	241.31	135.68	0.00	483.42
14	ओडिशा	351.85	417.15	412.31	406.55	304.20
15	पंजाब	36.03	8.47	0	9.35	17.82
16	राजस्थान	251.48	65.86	443.91	211.41	399.86
17	तमिलनाडु	201.26	589.85	305.96	427.97	413.65
18	तेलंगाना	213.17	71.74	144.89	112.23	0.00
19	उत्तर प्रदेश	1247.08	1272.82	1473.63	1257.23	1425.52
20	उत्तराखंड	98.76	48.42	105.98	77.79	97.56
21	पश्चिम बंगाल	367.05	240.96	381.44	567.02	460.52
22	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0	8.34	0.00
23	असम	253.80	247.60	254.44	234.92	242.14
24	मणिपुर	25.92	4.29	22.39	13.28	18.82
25	मेघालय	17.19	8.69	17.92	18.23	18.27
26	मिज़ोरम	9.35	4.72	9.3	9.23	12.00
27	नागालैंड	18.47	14.16	19.38	15.34	26.60
28	सिक्किम	8.17	0.00	7.04	0.00	0.00
29	त्रिपुरा	9.85	22.98	25.31	37.26	45.35
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.79	0.00	0	0.00	0.00

31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0	0.00	0.00
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23.04	34.10	0	0.00	93.55
34	लद्दाख	0.95	0.00	3.03	0.00	4.61
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	8.22	4.18	0	0.00	0.00
	कुल	**6152.61**	**5806.39**	**6827.55**	**6778.48**	**6843.92**

राज्यों को वित्तीय सहायता के संबंध में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3882 के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिकतम सीमा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	663736
2	बिहार	3157256
3	छत्तीसगढ़	644429
4	गोवा	7308
5	गुजरात	620548
6	हरियाणा	259865
7	हिमाचल प्रदेश	93178
8	झारखंड	985094
9	कर्नाटक	899422
10	केरल	458813
11	मध्य प्रदेश	1575079
12	महाराष्ट्र	1122920
13	ओडिशा	1418631
14	पंजाब	112955
15	राजस्थान	823972
16	तमिलनाडु	1282504
17	तेलंगाना	480315
18	उत्तर प्रदेश	4722613
19	उत्तराखंड	204557
20	पश्चिम बंगाल	1281159
पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	5893
22	असम	695997
23	मणिपुर	55891
24	मेघालय	55734
25	मिजोरम	24524
26	नागालैंड	45941
27	सिक्किम	16928
28	त्रिपुरा	135232
संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	585
30	चंडीगढ़	2378
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और	8754

	दीव	
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	113824
33	जम्मू और कश्मीर	130298
34	लद्दाख	6486
35	लक्षद्वीप	155
36	पुदुचेरी	17713
	कुल योग	**22130687**

*****